



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर  
108/11 आवास विकास कालोनी, बिजनौर -246701

सन्दर्भ सं० : 711/D-1/जनरल-2014

दिनांक : 30-06-14

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)  
बिजनौर।

विषय—मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, (मुरादाबाद) रिटेल आउटलेट पेट्रोलपम्प खसरा सं०—217क, 218 ग्राम—छज्जुपुरा सैद, तह०—बिजनौर, जिला—बिजनौर पर प्रस्तावित 2 x 20 के.एल. (एच.एस.डी.), 20 के.एल. (एम.एस) के भण्डारण हेतु टैंकों की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्रांक—439/बीस आयुध सहायक दिनांक—14.03.14 जोकि इस कार्यालय में दिनांक—19.03.14 को प्राप्त हुआ है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल की स्थलीय जाँच करायी गयी। जाँच आख्या के अनुसार प्रस्तावित स्थल के पूर्व दिशा में चकमार्ग, पश्चिम दिशा में श्री विनय कुमार गुप्ता की कृषि भूमि, उत्तर दिशा में बिजनौर—नूरपुर राज्य मार्ग तथा दक्षिण दिशा में श्री विनय कुमार गुप्ता की कृषि भूमि स्थित है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त क्षमता के अन्डरग्राउण्ड टैंकों की स्थापना निम्नलिखित शर्तों के अधीन संस्तुति की जाती है :-

- 1- इकाई द्वारा पेट्रोलियम टैंको का भण्डारण प्रस्तावित स्थल के सन्निकट स्थित विद्युत लाइन से यथासंभव दूरस्थ तथा अग्निशमन विभाग के प्राविधानों के अनुरूप किया जाये।
- 2- पेट्रोल पम्प द्वारा बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम—1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम—1981 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त की जाये।
- 3- प्रस्तावित 15 के०वी०ए का डी०जी सेट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं०—जी.एस.आर 371 (ई) दिनांक—17.05.02 व जी.एस.आर 448 (ई) दिनांक—12.07.04 के अनुसार एकाउस्टिक इन्क्लोजर तथा एग्जास्ट मफलर सहित स्थापित किया जाए।
- 4- इकाई पेट्रोलियम पदार्थों का भण्डारण एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के मार्गदर्शिका के अनुसार करना सुनिश्चित करेगा तथा सुरक्षा में अग्निशमन के समस्त वांछित उपाय कराना सुनिश्चित करेगा।
- 5- आकस्मिक दुर्घटनाओं के बचाव हेतु आन साइट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर इसका अनुमोदन संबंधित विभाग से कराकर इस कार्यालय में तीन माह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय,

(अजय शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी